न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर : 02/2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री सुनिल कुमार पुत्र मनीराम राहड़, मै0 द कानजी मसाला, पुराना बस स्टेण्ड के पास, रामपुरा, तहसील मलसीसर, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– दिनांक : 31.01.2023

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी पुराना बस स्टेण्ड के पास, रामपुरा, मलसीसर, झुन्झुनू में मै0 द कानजी मसाला, के नाम से दुकान है जहां वह मसाला तैयार कर बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ पॉलीपैक हल्दी पाउडर (टी.के.एम) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड फूड (Misbranded food) एवं सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसकी दुकान से लिया गया सैम्पल प्रिन्टिग मिस्टेक के कारण मिस ब्रान्ड हुआ है। जिसमें सुधार कर लिया गया है। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये अथवा कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3100/एक्ट/2022/3140 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पॉलीपैक हल्दी पाउडर (टी.के.एम) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded food) एवं सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर खाद्य पदार्थ पॉलीपैक हल्दी पाउडर (टी.के.एम) पर तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पॉलीपैक हल्दी पाउडर (टी.के.एम) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded food) एवं सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री सुनिल कुमार पुत्र मनीराम राहड़, मै0 द कानजी मसाला, पुराना बस स्टेण्ड, रामपुरा, मलसीसर, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:31 IST
Reason: SelfAttested